भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-124

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

नीट में पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी

124. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा दिनांक 05.05.24 को 4750 केन्द्रों पर नीट परीक्षा आयोजित की गई थी;
(ख) यदि हां, तो परीक्षा में 720/720 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त परीक्षा में ग्रेस अंक दिए गए थे;
(घ) यदि हां, तो कितने छात्रों को ग्रेस अंक दिए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या यह सच है कि इस परीक्षा में अवैध तरीका अपनाया गया था;
(च) क्या सरकार ने इसकी कोई जांच कराई है या किसी समिति द्वारा जांच की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(छ) क्या यूजीसी नेट 2024 परीक्षा रद्द कर दी गई है;
(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(झ) इस परीक्षा को रद्द करने के क्या कारण हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कड़े कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने दिनांक 5 मई, 2024 को 4750 केंद्रों पर एनईईटी(यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित की। दिनांक 4 जून 2024 को एनटीए द्वारा शुरू में घोषित परिणाम के अनुसार ऐसे 67 उम्मीदवार थे, जिन्होंने 720/720 अंक हासिल किए थे, जिनमें 6 उम्मीदवार शामिल थे जिन्हें एनटीए द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति

(जीआरसी) की सिफारिश पर ग्रेस अंक मिले थे। जीआरसी ने उन उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों पर विचार किया, जिन्होंने दावा किया था कि कुछ केंद्रों पर परीक्षा के दौरान उन्हें समय की हानि हुई थी और सिफारिश की थी कि उन्हें 2018 के रिट याचिका 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 13.06.2018 के निर्णय में अपनाए गए फॉर्मूले/तंत्र के अनुसार मुआवजा दिया जाए। तदनुसार, 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस अंक दिए गए।

तथापि, एनटीए द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने ग्रेस अंकों के बारे में एनटीए के निर्णय पर पुनर्विचार किया, जिसने उन सभी 1563 उम्मीदवारों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की, जिन्हें ग्रेस अंक दिए गए थे। इसे 13.06.2024 को डब्ल्यूपी (सिविल) संख्या 336/2024 जरीप्ति कार्तिक बनाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया। माननीय न्यायालय ने पुनः परीक्षा आयोजित करने के निर्णय को निष्पक्ष, उचित और न्यायसंगत पाया।

ऐसे उम्मीदवारों को दिए जाने वाले ग्रेस अंक वापस लेने के बाद दिनांक 23.6.24 को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। दिनांक 30.6.24 को घोषित अंतिम परिणाम के अनुसार 61 उम्मीदवारों ने 720/720 अंक प्राप्त किए हैं, इस प्रकार 67 की प्रारंभिक संख्या में से 6 उम्मीदवार बाहर हो गए हैं।

(छ) से (झ) एनटीए ने 18 जून, 2024 को देश के विभिन्न शहरों में दो पालियों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा आयोजित की। दिनांक 19 जून, 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से परीक्षा के बारे में कुछ इनपुट प्राप्त हुए। इन इनपुट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सत्यनिष्ठा से समझौता किया गया हो सकता है।

परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी जाए। इस मामले को गहन जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया। एनटीए ने सूचित किया है कि यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा अब 21 अगस्त, 2024 से 4 सितंबर, 2024 के बीच सी.बी.टी. मोड में आयोजित की जाएगी।

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 लागू किया है। यह अधिनियम 21 जून, 2024 से लागू हो गया है और 23 जून, 2024 को इसके तहत नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

****